राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांकः–स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1284 /2022 दिनांक : 11.04.2022

श्रीमती मीनाक्षी व्यास (RJ1161), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पश्चिम) भीलवाड़ा को दिनांक 11.05.2022 से 06.11.2022 तक ***180*** दिवस का ***मातृत्व अवकाश*** *(द्वितीय संतान)* स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सुरभि सिंह (RJ0999), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पूर्व) भीलवाड़ा को श्रीमती मीनाक्षी व्यास के उक्त ***मातृत्व अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ–साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पश्चिम) भीलवाड़ा के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. **श्रीमती सुरभि सिंह** (RJ0999), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पश्चिम) भीलवाड़ा के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालयों के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

11.04.2022

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांकः–स्था.बी.2 (4)/26/2017/2813 दिनांक : 11.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 3671 दिनांक 01.04.2022 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती मीनाक्षी व्यास** (RJ1161), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पश्चिम) भीलवाड़ा ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पश्चिम) भीलवाड़ा ।
5. **श्रीमती सुरभि सिंह** (RJ0999), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पूर्व) भीलवाड़ा ।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पूर्व) भीलवाड़ा ।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर ।

11.4.2022

सहायक रजिस्ट्रार